

अज अदालत- अपर जिला कलक्टर, हनुमानगढ़

अनवान:- किशन सिंह आदि बनाम पीरदान सिंह आदि

किस्म मुकदमा:- निगरानी अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधि. 1994


नम्बर मुकदमा 18 / 2025

जीसीएमएस नं. 2025/180

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तागील में जारी हुए
-------	------------------------------------	---

23.09.2025

यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रार्थीयान जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया। दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीयान की तलबी हेतु प्रार्थीयान के खर्चे पर रजिस्टर्ड डाक से नोटिस जारी हो। पत्रावली तलबी अप्रार्थीयान एवं रिकॉर्ड तलबी हेतु दिनांक 14.10.2025 को पेश हो।


  
अपर जिला कलक्टर  
हनुमानगढ़

14.10.2025

अभिभाषक निगरानीकर्ता उपर। अप्रार्थी स्वर  
की ओर श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा द्वारा  
वकालतनाम पेश किया। शामिल पत्रावली है।  
अभिभाषक निगरानीकर्ता को सुना गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया।  
अवलोकन पर पाया कि प्रश्नगत सुबबुस ग्राम  
पंचायत 265T 6 में स्थित। स्वामत शासन  
विभाग जमुदुल की अधिसूचना क्रमांक 854।  
दिनांक 27.03.2025 द्वारा उपर ग्राम पंचायत को  
नगरपालिका फीलीबंगा क्षेत्र में सम्मिलित किया  
जा चुका है। प्रकरण नगरपालिका क्षेत्र का  
होने के कारण सुबबुस का क्षेत्राधिकार इस  
मामले को नहीं होकर माननीय सिविल  
मामले को है। अतः पत्रावली इसी अंत  
पर दायित्व दफ्तरी जाती है।

आदेश सुबबुस मामले में सुनाया गया।

  
(उमदीलाल जीन)  
अपर जिला कलक्टर  
हनुमानगढ़